–:: राज्य विशेष शाखा राजस्थान, जयपुर ::–

क्रमांकः–न–5 ( ) पुविशा / संस्था. / कानि. भर्ती–21 / नियुक्ति / 2023 / 3976 दिनांकः– 2-5-2023

आदेश

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति संख्या न–5(84)पु.फो. / कानि.भर्ती / 2021 / 128 दिनांक 03.02.2022 के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस में कानिस्टेबल सामान्य / चालक / बैण्ड के जिला / यूनिटवार विज्ञापित पदों के अनुसार नियमानुसार 2 प्रतिशत पद उत्कृष्ट खिलाडी कोटा में भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक न–5(73)पु.फो. / कानि.भर्ती–21 / 2022 / 1383 दिनांक 23.10.2022 व संशोधित आदेश 1426 दिनांक 28.10.2022 के द्वारा कानिस्टेबल भर्ती (उत्कृष्ट खिलाडी कोटा) वर्ष 2021 के लिए सीआईडी (आईबी हेतु विज्ञापित 06 पदों के विरूद्ध गठित चयन बोर्ड द्वारा चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों की सूची प्रेषित की गई।

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशों की पालना में निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण / चरित्र सत्यापन / शैक्षणिक योग्यता / खेल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्रों आदि के मूल प्रमाण–पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अतः निम्नांकित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हेतु प्रशिक्षु के रूप में कार्य संतोषप्रद पाये जाने एवं प्रारंभिक / व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किये जाने एवं निर्धारित शर्तो के अध्यधीन इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर **में दिनांक 05.05.2023** तक आवश्यक रूप से कानिस्टेबल सामान्य पद पर ड्यूटी ज्वाईन करने हेतु नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	रोल नम्बर	नाम अभ्यार्थी मय पिता का नाम	स्थाई पता	जन्म तिथि	शिक्षा	लिंग	जाति	वर्ग	चयन सूची क्रमांक	आवेदित खेल का नाम
1	1026	वर्षा जाखड़ / विजय कुमार जाखड़	जाखड़ो का बास अलखपुरा, मौलासर, जिला नागौर–341506	03.06.2003	12वीं	महिला	जाट	OBC	3	HAND BALL LEFT BACK
2	1209	गुरपिन्दर सिंह / दर्शन सिंह	वार्ड नं. 19, ग्राम व पोस्ट– लालगढ़ जाटान, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर 335037	03.07.2000	12वीं	पुरूष	तरखान	OBC	16	HAND BALL GOALKEEPER
3	1110	लोकेश चौधरी / सज्जन सिंह चौधरी	ग्राम–पोस्ट जिन्दोली तहसील मुण्डावर, जिला अलवार 301404	15.08.2000	12वीं	पुरूष	जाट	OBC	26	ATHLETICS-10 KM CROSS COUNTRY
4	1180	टिकंल सिंह / विजय सिंह	115 शक्ति नगर निवारू रोड़ झोटवाड़ा, जिला जयपुर–302012	21.03.1999	बीए	पुरूष	जाटव	SC	36	FOOTBALL-MID FIELDER
5	1276	मनीष चौधरी / महावीर सिंह चौधरी	ए–347 लक्ष्मी नगर, अम्बेडकर नगर के सामने, अलवर–301001	01.08.2003	12वी	पुरूष	जाट	OBC	39	HOCKEY-MID FIELDER

2.5.23

कानिस्टेबल खेल कोटा (सामान्य ड्युटी) नियुक्ति पर निम्नांकित शर्ते लागू होगी :-

1. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1989, राजस्थान सेवा नियम एवं राज्य सरकार/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशो/निर्देशों के अध्यधीन होगी।
2. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-15(1) एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 30.10.17 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.17 के अनुसार राज्य सेवा में उपस्थिति तिथि से परिवीक्षाकाल में रूपये 14600/-(अक्षरे रूपये चोदह हजार छः सौ मात्र) मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा।
3. परिविक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर नियमानुसार स्थाईकरण होने के पश्चात स्थाईकरण तिथि से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-15(1)एफडी/रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 30.10.2017 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे-मेट्रिक्स लेवल-5 में नियमित वेतन निर्धारण किया जाकर नियमानुसार भत्ते दिये जायेंगे व नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
4. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, महंगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं विशेष वेतन) आदि देय नहीं होंगे। इस अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा। इस अवधि में सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार होगी।
5. राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 21 की अनुसूची के नोटस 04 के अनुसार इन अभ्यार्थियों को परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में नियमानुसार 15 योम आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य अवकाश देय नही होगा।
6. नियुक्ति दिनांक से अंशदायी पेंशन के संबंध में राज्य सरकार के आदेश एफ-12(3)एफडी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 के द्वारा दिनांक 01.04.2022 से नवीन पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की गई है, जो प्रभावी होगा।
7. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 5(5)एफडी/ईन्शोरेन्स/2020 दिनांक 09.04.2021, एफ-1(4) एफडी/रूल्स/2021 दिनांक 15.04.2021, एफ.5(5)एफडी ईन्शोरेन्स/2020 पार्ट-II दिनांक 07.07.2021, दिनांक 07.09.2021 व 19.04.2022 में वर्णितानुसार नियमानुसार आर.जी.एच.एस. योजना लागू होंगी व नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।
8. राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ-13(3)एफडी/रूल्स/2001 दिनांक 4.10.2001 आदेश संख्या प-7(1)कार्मिक/क-2/97 पार्ट जयपुर दिनांक 13.08.2004 के अन्तर्गत नियुक्ति के उपरान्त यदि इन अभ्यार्थियों के 2 से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते हैं तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक किया जावेगा।
9. विवाह में दहेज प्राप्त करने, एक से अधिक पति/पत्नी रखने, आपराधिक प्रकरण एवं दस्तावेजो में विपरित तथा अन्य किसी भी प्रकार के नियम विरूद्ध तथ्य ज्ञात होने पर बिना नोटिस तत्काल इनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
10. विवाहित होने की स्थिति में इन्हें विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने/नहीं देने एवं एक से अधिक जीवित पति/पत्नि नहीं रखने का तथा दिनांक 01.06.2002 के बाद 02 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों में कानिस्टेबल भर्ती 2021 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 2305 दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या 11 व 12 में किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जायेगा।
12. नव-नियुक्त रिक्रूट कानिस्टेबल (प्रशिक्षु) द्वारा दैनिक उपभोग के आवश्यक साज-सामान, पहनने के कपड़े एवं नियमानुसार बतौर मैस एडवांस, रूपये 2600/- बतौर कार्मिक कल्याण न्यास जमा कराने हेतु व सहायक कैंटीन की सदस्यता शुल्क व 10 पासपोर्ट साईज फोटो सहित नियत दिनांक तक पुलिस लाईन जयपुर में उपस्थिति देंगे। निश्चित तिथि तक उपस्थिति नहीं दिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

SP
2.5.23

13. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प 7(1) कार्मिक/क–2/2019 जयपुर दिनांक 17.10.2022 में वर्णितानुसार आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा अन्तिम तिथि के पश्चात जारी किये हुये प्रमाण पत्र का शपथ पत्र लिया गया कि अन्तिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

उक्त प्रयोजनार्थ किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ईओबी नं0 :– 593
दिनांक :– 2-5-2023

2.5.23

(मनीष त्रिपाठी)
पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टे0/भर्ती एवं पदोन्नति/प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर।
2– श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस (इन्टे0/सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3– उप महानिरीक्षक पुलिस (आसूचना/सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4– निदेशक, इन्टैलिजेंस प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त अभ्यार्थियों के उपस्थिति की सूचना इस कार्यालय में अविलम्ब भिजवावें तथा अभ्यार्थियों की आमद, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था कराने का श्रम करावे।
5– सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड प्रथम, विशा जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अभ्यार्थियों के बैंक खाते राजस्थान पुलिस सैलेरी पैकेज में जुड़वाये तथा एम्पलॉई आईडी एवं प्राण नम्बर अतिशीघ्र जारी करना सुनिश्चित करे।
6– ईओबी/निजी पत्रावली लिपिक, विशा जयपुर।
7– संबंधित अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों के **अनुसार अपनी उपस्थिति दिनांक 05.05.2023** तक इन्टेलीजेन्स प्रशिक्षण अकादमी, जयपुर पर देना सुनिश्चित करे।
8– निदेशक, इन्टेलीजेंस को निर्देश दिये जाते हैं कि वे खेल कोटा में चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाईन करने के उपरान्त खेल अधिकारी, राजस्थान पुलिस के पत्र कमांक 3815 दिनांक 20.12.2022 में वर्णितानुसार पांचवी बटालियन आरएसी जयुपर के पास खेल अभ्यास हेतु भिजवा कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

पुलिस अधीक्षक,
आसूचना जयपुर।